राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक 21-12-2023
2532(163)	24.3.2015(16.05.2007)	

उनवानः

1. मुस0 गेन्दी देवी बेवा विजयसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ....मृतक

2. पृथ्वी सिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

3. पर्वतसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0......मृतक

3/1 श्रीमती राजबाल उम्र 50 साल बेवा पर्वतसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

3/2 मनोज उम्र 24 साल पुत्र स्व. पर्वतसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

3/3 विकास उम्र 22 साल पुत्र स्व. पर्वतसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

4. हंसराज पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

5. भीमसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0.....मृतक नाऔलाद

...........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
3. रामरति देवी बेवा सुरेन्द्रसिंह जाति अहीर
4. महेश कुमार पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति अहीर
5. रामजस पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति अहीर
6. प्रदीप पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति अहीर
7. ममता पुत्री सुरेन्द्रसिंह जाति अहीर
8. महेन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल जाति अहीर
9. दलीप पुत्र गण्पत जाति अहीर ....मृतक

9/1 भरतसिंह पुत्र स्व. दलीप सिंह जाति अहीर

9/2 रणधीर पुत्र स्व. दलीप सिंह जाति अहीर

9/3 राजू उर्फ राजबीर पुत्र स्व. दलीप सिंह जाति अहीर

9/5 सविता पुत्री स्व. दलीप सिंह जाति अहीर सभी निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......असल प्रतिवादीगण

10. कृष्ण पुत्र जगमाल जाति अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

11. रघुवीरसिंह पुत्र बिहारीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

ड अधिकारी (कोटपूतली-बहरोड़)

दावा इस्तकरार हक एवं दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थितीः– श्री भानुप्रतापसिंह योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री दाताराम यादव योग्य अधिवक्ता तरतीवी प्रतिवादी सं0 10 की ओर से

:: निर्णय ::

वादीगण द्वारा पेश दावा के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि साबिक खसरा नम्बर 647 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1130 रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम दीवाद तहसील नीमराना कायम हुए। साबिक खसरा नम्बर 647 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा पूर्व में वादनी सं0 1 के पति व वादी सं0 2 लगा0 5 के पिता शिवलालसिंह उर्फ भूपसिंह पि0 राजकार्ड बेल बहादुरसिंह राजपूत की खातेदारशुदा आराजी थी जिसमें इस आराजी को श्रीपुरुषोत्तमलाल पुत्र मामचन्द ब्राह्मण से दिनांक 24.05.73 को अविभक्त रजि0 बयनामा के जरिये खरीद की जो मौके पर साबिक रकबा के मुताबिक काबिज रहकर काश्त करते रहे तथा बन्दोबस्त संवत 2042 में बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने साबिक खसरा नम्बर 647 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा का नया नम्बर 1130 रकबा 1.30 है0 कायम कर वादीगण की आराजी का 15 एयर रकबा कम कर दिया गया। जबकि मौके पर रकबा साबिक रकबा के मुताबिक पूरा है। जिस पर वादनी सं0 1 के पति व वादी सं0 2 लगा0 5 के पिता शिवलालसिंह ने अपने जीवनकाल में ही आराजी मुतनाजा के आधे 1/2 भाग को अविभक्त रजि0 बयनामा के जरिये तरमीमी प्रतिवादी सं0 10 को बेचान कर दिया उसके पश्चात शिवलालसिंह फौत हो गये जिसके वारसान वादीगण है जो शेष 1/2 भाग पर काबिज रहकर काश्त करते रहे व उसके बाद वादीगण ने भी शेष 1/2 भाग को अविभक्त रजि0 बयनामा के तरमीमी प्रतिवादी सं0 11 को बेचान कर दिया जो आराजी तरमीमी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। बेचान से पूर्व ही आराजी मुतनाजा का रकबा रिकार्ड में 15 एयर कम किया हुआ था और मौके पर रकबा पूरा था इसलिए मौके पर वादीगण द्वारा हाल रकबा के मुताबिक भूमि मानकर तरमीमी प्रतिवादीगण को मौके पर कब्जा दिया गया था। जो 15 एयर रकबा रिकार्ड में बन्दोबस्त विभाग द्वारा कम कर दिया गया उसके मौके पर वादीगण स्वयं काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए राजस्व रिकार्ड के जो 15 एयर रकबा कम किया हुआ है वह रिकार्ड हम वादीगण के खिलाफ बातिल व बेअसर है जिसे हम वादीगण दुरुस्त करवाकर 15 एयर भूमि का बटा नम्बर कायम करवाकर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है तथा हम वादीगण द्वारा दीगर दावा आराजी मुतनाजा की पैमाईश करवाने के लिए तहसीलदार बहरोड के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर दिनांक 25.07.12 को मुताबिक आदेश श्रीमान् तहसीलदार बहरोड के पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर आराजी मुतनाजा की विधिवत रूप से पैमाईश की जो मुताबिक पैमाईश वादीगण की आराजी साबिक खसरा नम्बर 647 का मौके पर रकबा 5 बिघा 16 बिस्वा पूरा है लेकिन बन्दोबस्त संवत 2042 में बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 647 का नया नम्बर 1131 कायम कर उसका रकबा साबिक रकबा के मुताबिक 15 एयर कम करते हुए 1.30 है0 दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त खसरा नम्बर का रकबा साबिक रकबा के मुताबिक 1.45 है0 दर्ज होना चाहिए था। जो रकबा प्रतिवादी असल सं0 3 लगा0 9 के खसरा नम्बर साबिक 1213 रकबा 7 बिघा 2 बिस्वा में शामिल करते हुए उक्त साबिक खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 1583 रकबा 0.81 है0, 1582 रकबा 0.03 है0,1586 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम दीवाद में शामिल किया जाना पाया गया जिस सूरत में मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 25.07.12 के प्रतिवादीगण असल सं0 3 लगा0 9 की खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 1586 रकबा 1.08 है0 में से 15 एयर रकबा कम करवाकर उसका बटा नम्बर कायम करवाकर नक्शा में तितम्मा काटकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने की प्रार्थना की गई।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं0 1 राजस्थान सरकार की ओर से कोई सक्षम उपस्थित आया तथा तरमीमी प्रतिवादी सं0 10 की ओर से श्री [illegible] यादव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण की ओर से किसी ने भी कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया गया।

तथा वादीगण द्वारा मौका की रिपोर्ट तहसीलदार को मौका कमिशनर नियुक्त कर मौका की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाई, का प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 पेश किया गया । वादीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर, मौका की वास्तविक स्थिती जाने के लिए तहसीलदार बहरोड को मौका कमिशनर नियुक्त किया गया ।

तहसीलदार बहरोड द्वारा द्वारा दिनांक 25.07.2012 को मय पटवारी हल्का के वादग्रस्त खसरा नम्बर 1131 वाके ग्राम दौसोद की मौका की रिपोर्ट तैयार कर इस न्यायालय मे पेश की गई।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई। वादीगण द्वारा अपने दावा को सावित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप मे गवाह हंसराज पी.ड.–1 का बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप से प्रदर्श–1 लगा. 25 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जाने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई ।

वकील वादीगण द्वारा अपने दावा के तथ्यो को दोहराते हुऐ तर्क दिये कि वादीगण की खातेदारी के साबिक खसरा नम्बर 647 रकबा 5 बिघा 16 बिस्वा के मुताबिक उक्त खसरा नम्बर से कायम नया नम्बर 1131 का रकबा 1.45 है0 बनना चाहिऐ था तथा मौके पर साबिक रकवा के मुताबिक रकबा पूरा है लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा गलती व लापरवाही से वादीगण की आराजी का 15 एंयर रक़बा कम करते हुऐ 1.30 है0 दर्ज कर दिया और उसे प्रतिवादी सं0 3 लगा0 9 के खसरा नम्बर साबिक 1273 रकबा 7 बिघा 2 विस्वा वाके ग्राम दौसोद मे मिलाते हुऐ इसके नये खसरा नम्बर 1563, 1562,1566 कुल किता 3 कुल रकबा 2.02 है0 दर्ज कर दिया गया, लेकिन मौके पर वादीगण 15 एयर रकवा पर काबिज है। जो तहसीलदार बहरोड की रिपोर्ट दिनांक 25.07. 2012 से सावित होता है। इसलिए वादीगण का दावा पत्रावली मे पेश दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण बहस के लिए उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादीगण की बहस बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते आदेश नियत की गई ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया। प्रदर्श–23 जमाबन्दी संवत 2034 मे साबिक खसरा नम्बर 647 रकबा 5 बिघा 16 बिस्वा बृजसिंह उर्फ विजयसिंह पि0 मु0 बहादूरसिंह ,राजबाई बेवा बहादुरसिंह के नाम से दर्ज रिकार्ड है। मुस0 राजबाई का विरासत इंतकाल प्रदर्श–18 के जरिये वादीगण के नाम से खोला गया है। प्रदर्श– 24 मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 के मुताबिक साबिक खसरा नम्बर 647 से नया खसरा नम्बर 1131 रकबा 1.30 है0 कायम किया गया है जिसका रिकार्ड मे साबिक रकबा के मुताबिक 1.45 है0 दर्ज होना चाहिऐ था लेकिन संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो द्वारा 15 एयर रकबा कम दर्ज किया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 3 लगा0 9 की खातेदारी के खसरा नम्बर साबिक 1273 रकबा 7 बिघा 2 बिस्वा वाके ग्राम दौसोद के बन्दोबस्त संवत 2042 मे नये खसरा नम्बर 1563, 1562,1566 कुल किता 3 कुल रकवा 2.02 है0 कायम किये गये है। उक्त खसरा नम्बरान का साबिक रकवा के मुताविक 1.78 है0 दर्ज होना चाहिऐ था लेकिन 24 एयर बढाते हुऐ 2.02 है0 दर्ज किया गया हुआ है। खसरा नम्बर 1131 रकबा 1.30 है0 को वादीगण द्वारा बेचन किया जा चुका है इसलिए राजस्व रिकार्ड मे क्रेता तरतीवी प्रतिवादी सं0 10 व 11 की खातेदारी दर्ज है जो प्रदर्श–10 जमावन्दी संवत 2069 से 2072 से साबित है। वादीगण द्वारा हाल खसरा नम्बर 1131 रकवा 1.30 है0 भूमि का बेचान करने के बाद मौके पर साबिक रकबा के मुताबिक 15 एयर भूमि पर अपने आपको काविज बताते हुऐ यह दावा पेश किया गया है जिसकी पुष्टि तहसीलदार बहरोड द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 25.07.2012 से होती है।

ण्ड अधिकारी
(कोटपूतली-...)

तहसीलदार वहरोड अपनी मौका रिपोर्ट मे यह भी अंकित किया गया है कि वादीगण के खसरा नम्बर 1131 का 15 एयर रकबा प्रतिवादी सं0 3 लगा0 9 के खसरा नम्ब 1566 रकबा 1.08 है0 वाके दौसोद तह0 नीमराना मे शामिल किया गया है। जिसमे से 15 एयर

रकबा कम किया जाकर वादीगण की आराजी का रकबा 1.45 है0 दर्ज किया जाना उचित है। प्रतिवादीगण न्यायालय मे बावजूद तामिल उपस्थित होकर वादीगण के वाद पत्र के खण्डन के लिए कोई साक्ष्य सबूत या आपत्ति पेश नही की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, दस्तावेजात, मौखिक साक्ष्य एवं तहसीलदार बहरोड द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 25.07.2012 के मुताबिक वादीगण का वाद साबित होने के कारण डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 3 लगा. 8 एवं प्रतिवादी स0 9/1 लगा.9/5 इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि तहसीलदार बहरोड द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 25.07.2012 के मुताबिक प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर हाल 1566 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम दौसोद तह0 नीमराना मे से 15 एयर रकबा कम किया जाकर उसका रकबा इसी कदर घटया जावे तथा उक्त 15 एयर भूमि के वादी सं0 2,4,5 प्रत्येक को हिस्सा–1/4 के तथा वादी सं0 3/1 लगा.3/3 प्रत्येक को हिस्सा–1/12 के खातेदार घोषित किये जाते है तथा उक्त 15 एयर भूमि का तितम्बा खसरा नम्बर हाल 1131 वाके ग्राम दौसोद तह0 नीमराना मे उत्तरी डोल के सहारे–सहारे काटा जाने की घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने एवं हाल राजस्व नक्शा मे तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। खर्चा मुकदमा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 21-12-2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

21-12-2023

पंकज बडगूजर
(उपखण्ड) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

::पर्चा डिक्री::

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 2532(163) तारीख रजू : 24.3.2015(16.05.2007) निर्णय दिनांक

उनवानः

1. मुस0 गेन्दी देवी बेवा विजयसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ....मृतक
2. पृथ्वी सिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
3. पर्वतसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0......मृतक

3/1 श्रीमती राजबाल उम्र 50 साल बेवा पर्वतसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

3/2 मनोज उम्र 24 साल पुत्र स्व. पर्वतसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

3/3 विकास उम्र 22 साल पुत्र स्व. पर्वतसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

4. हंसराज पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
5. भीमसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी दोसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0.....मृतक नाऔलाद

............वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार ज़रिये जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
3. रामरति देवी बेवा सुरेन्द्रसिंह जाति अहीर
4. महेश कुमार पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति अहीर
5. रामजस पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति अहीर
6. प्रदीप पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति अहीर
7. ममता पुत्री सुरेन्द्रसिंह जाति अहीर
8. महेन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल जाति अहीर
9. दलीप पुत्र गण्पत जाति अहीर ....मृतक

9/1 भरतसिंह पुत्र स्व. दलीप सिंह जाति अहीर

9/2 रणधीर पुत्र स्व. दलीप सिंह जाति अहीर

9/3 राजू उर्फ राजबीर पुत्र स्व. दलीप सिंह जाति अहीर

9/5 सविता पुत्री स्व. दलीप सिंह जाति अहीर सभी निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......असल प्रतिवादीगण

10. कृष्ण पुत्र जगमाल जाति अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
11. रघुवीरसिंह पुत्र विहारीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.....तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक एवं दुरुस्ती इन्द्राजात

उपस्थितिः– श्री भानुप्रतापसिंह योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से
श्री दाताराम यादव योग्य अधिवक्ता तरतीवी प्रतिवादी सं0 10 की ओर से

अधिकारी
कोटपूतली–बहरोड

:: आदेश ::

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 3 लगा. 8 एंवं प्रतिवादी स0 9/1 लगा.9/5 इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि तहसीलदार बहरोड द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 25.07.2012 के मुताबिक प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर हाल 1566 रकबा 1.08 है0 वाके ग्राम दौसोद तह0 नीमराना मे से 15 एयर रकबा कम किया जाकर उसका रकबा इसी कदर घटया जावे तथा उक्त 15 एयर भूमि के वादी सं0 2,4,5 प्रत्येक को हिस्सा–1/4 के तथा वादी सं0 3/1 लगा.3/3 प्रत्येक को हिस्सा–1/12 के खातेदार घोषित किये जाते है तथा उक्त 15 एयर भूमि का तितम्बा खसरा नम्बर हाल 1131 वाके ग्राम दौसोद तह0 नीमराना मे उतरी डोल के सहारे–सहारे काटा जाने की घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने एवं हाल राजस्व नक्शा मे तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। खर्चा मुकदमा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।

21-12-2023

पंकज बडगूजर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
(कोटपूतली–बहरोड) राज0